दिनांक: 19-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा ग्राहक सेवा केन्द्र पर लूट करने वाला 01 शातिर लूटेरा गिरफ्तार, कब्जे से लूट के 4450/ रूपये बरामद ।

अवगत कराना है कि दिनांक 11.9.2023 को वादी श्री अनुपम शर्मा पुत्र बंशीधर नि. 2सी / 968 दयाल कालोनी, थाना सदर बाजार सहारनपुर द्वारा लिखित तहरीर बाबत मुंह पर गमछा लपेटे हुए 02 अज्ञात व्यक्तियों वादी के बैंक ऑफ ब़डौदा ग्राहक सेवा केन्द्र, दयाल कालोनी पर आए एवं वादी से तमंचा दिखाकर गोली मारने का भय दिखाकर छीनाछपटी व लूट करने के सम्बन्ध मे वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0स0 397/23 धारा 394 भादवि बनाम 02 अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना के शीघ्र अनावरण व लूटेरो की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी सदर बाजार को आदेश निर्देश दिये गये । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा दिनांक 19.9.2023 को मुखबिर की सूचना पर भट्टा कालोनी मोड से अभियुक्त **1.गौरव कुमार पुत्र बसंत कुमार निवासी तिगरी रामगढ थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त गौरव के कब्जे से वादी मुकदमा के ग्राहक सेवा केन्द्र से लूटे गये रूपये में अभियुक्त गौरव के हिस्से मे आये 6500/- रूपयो में खर्च के बाद बचे 4450/- रू बरामद किये गये तथा मुकदमा उपरोक्त मे धारा 411/34 भादवि की वृद्धि की गई है। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ करने पर अभियुक्त गौरव उपरोक्त ने बताया कि मैं करीब एक-डेढ साल से बैंक ऑफ बडौदा के दयाल कालोनी में स्थित अनुपम शर्मा के ग्राहक सेवा केन्द्र पर आता जाता व पैसा ट्रान्सफर कराता था। दिनांक 05.9.2023 को मैं अपने मामा के गांव का रिश्ते का मुमेरा भाई सागर पुत्र सुरेशपाल निवासी उमरी कला थाना रामपुर मनि0 स0पुर के साथ ग्राहक सेवा केन्द्र पर 18150/- रू0 ट्रान्सफर कराये थे तथा वहां से हम चले गये । रास्ते में सागर ने मुझसे कहा कि ग्राहक सेवा केन्द्र पर काफी रूपय रहते हैं, इसको लूटने का प्लान बनाते हैं। मुझे भी लालच आ गया और मैने हाँ कर दी । दिनांक 11.09.23 को करीब 12 बजे दिन में सागर अपने साथ एक अन्य लडके जिसका नाम मैं नहीं जानता को लेकर मोटर साइकिल से आया। सागर व उसका साथी मोटर साइकिल से ग्राहक सेवा केन्द्र पर चला गया व मैं अलग खडे होकर निगरानी करता रहा । थोडी देर बाद दोनो हडबडाये हुए तेजी से ग्राहक सेवा केन्द्र से निकले तथा मोटर साइकिल से मल्हीपुर रोड की तरफ भाग गये । इसके बाद मैनें सागर से सम्पर्क किया तो सागर नें मुझे 6500/ रू देते हुए बताया कि जल्दबाजी में ज्यादा पैसैं नहीं ले पाये और तमंचा भी छीना छपटी में वहीं गिर गया, तू अपना हिस्सा रख ले । मुझसे मिलने की कोशिश मत करना पुलिस इधर उधर तलाश कर रही है । तब से सागर मुझे नहीं मिला । इसके बाद मुझे पता चला कि पुलिस मुझे तलाश कर रही है। मैं आज मुज्जफर नगर जाने के लिए भट्टा कालोनी के मोड पर सवारी के लिए इंतजार कर रहा था कि पुलिस ने मुझे पकड लिया । मेरी जेब से जो रूपये मिले हैं, वो उसी लूट की घटना के हिस्से में आये रूपये में से खर्च होने के बाद बचे रूपये हैं । सागर ने कितने रूपये लूटे थे, उसे ही पूरी जानकारी है तथा मोटर साइकिल भी उसी के पास है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

गौरव कुमार पुत्र बसंत कुमार नि. तिगरी रामगढ थाना नकुड जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण :-

4450/- रूपये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. उ0नि0 श्री राजीव गौर थाना सदर बाजार, सहारनपुर
2. है0का0 192 अशोक थाना सदर बाजार, सहारनपुर
3. का0 186 विमल थाना सदर बाजार, सहारनपुर

दिनांक: 19-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा रेलवे की सम्पत्ति चोरी करने वाला 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया सामान, 01 वाहन (छोटा हाथी) व 01 चाकू बरामद।

बरामदगी का विवरण

- **रेलवे की सम्पत्ति (52 टुकडे रेलवे लाईन पटरी, 10 लोहे के स्लीपर के पीस, 12 विभिन्न प्रकार की लोहे की प्लेटे, 20 चाबी रेलवे लाईन की व एक अदद इलेक्ट्रानिक कांटा)**
- **01 चाकू नाजायज**
- **01 छोटा हाथी**
- **01 नम्बर प्लेट जिस पर नम्बर UP 11 UT 0068 लिखा**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक के निर्देशन मे थाना देवबन्द पुलिस द्वारा दिनांक 18/09/2023 को रेलवे की चुराई हुई सम्पत्ति (52 टुकडे रेलवे लाईन पटरी, 10 लोहे के स्लीपर के पीस, 12 विभिन्न प्रकार की लोहे की प्लेटे, 20 चाबी रेलवे लाईन की व 01 इलेक्ट्रानिक कांटा) व 01 छुरा नाजायज के साथ अभियुक्त **फैजान पुत्र अनीस उर्फ गोकल निवासी ईदगाह के पास खानकाह कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर असगरिया मदरसे के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके 03 अन्य साथी मौके से भागने मे सफल रहे। उक्त के सम्बन्ध मे थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 501/23 धारा 414/465 भा.द.वि व 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

पूछताछ करने पर बताया अभियुक्त फैजान उपरोक्त ने बताया कि मै व मेरे साथियो ने मिलकर रणखण्डी फाटक थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर के पास से रेलवे लाईन से रेलवे का सामान मुनाफा कमाने के लिए चोरी किये थे। जिसे छोटा हाथी मे भरककर किसी राह चलते कबाड़ी को बेचने की फिराक मे थे। माल बेचने लेकर जाते हुए हमने छोटा हाथी पर नम्बर प्लेट बदलकर नं0 UP 11 UT 0068 की प्लेट लगा दी थी, जिससे गाडी का नम्बर पहचाना ना जा सके और पुलिस से बच सके।

आपराधिक इतिहास फैजान:-

1. मु0अ0सं0- 193/23 धारा 379/411 भा.द.वि चालानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 266/23 धार 3/4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0- 480/22 धारा 13 जुआ अधिनियम चालानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0- 618/16 धारा 366/506 भा.द.वि चालानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–</u>

फैजान पुत्र अनीस उर्फ गोकल निवासी ईदगाह के पास खानकाह कस्बा व थाना देवबन्द सहारनपुर (गिरफ्तार)

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. उ0नि0 आरिफ अली थाना देवबन्द जनपद सहारनपु
2. उ0नि0 सुशील कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. है0कां0 742 विनोद कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
4. है0कां0 801 अनुज कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
5. है0कां0 254 भूपेन्द्र कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
6. है0कां0 1103 रजीश कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

दिनांक:19-9-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की 02 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुये चोरी के सामान सहित 02 शातिर चोरो को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अभुयुक्तों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी गंगोह के कुशल नेतृत्व मे थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 19.9.2023 को वादी श्री हसीन अहमद पुत्र यासीन निवासी मौहल्ला गुलाम औलिया कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर की तहरीर पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 280/23 धारा 457/380 भादवि** से सम्बन्धित चोरी का अनावरण करते हुये व दुकान से चोरी हुये सामान को बरामद करते हुये **एवं** थाना गंगोह पर दिनांक 2.9.2023 को वादी रितिक पुत्र विकल सिंह निवासी ग्राम सांतौर थाना गंगोह जिला सहारनपुर की तहरीर पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 246/23 धारा 379 भादवि** मे चोरी हुयी मोटर साईकिल UP 11 AS 3618 को बरामद करते हुये दो शातिर चोर **1. नदीम उर्फ सलमान सांप उर्फ डेढ फुटा पुत्र नसीम निवासी मौहल्ला सराय टंकी वाली गली के पास कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर व 2. अभियुक्त सारिक पुत्र शरीफ निवासी मौहल्ला सराय मेले वाली सडक टंकी के पास कस्बा व थाना गंगोह जिला सहानरपुर** को ग्राम दूधला रोड से आज दिनांक 19.9.23 को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तो के जुर्म के सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0सं0 246/23 धारा 379/411 आईपीसी व मु0अ0सं0 280/23 धारा 457/380/411 आईपीसी पंजीकृत है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ कि गयी तो उनके द्वारा बरामद मोटरसाइकिल UP 11 AS 3618 के संबंध में जानकारी की गयी तो बताया कि हम दोनो ने लगभग 15 दिन पहले बाईपास पर बने अस्पताल से यह मोटरसाइकिल चोरी की थी। जिसको आज हम आने जाने वाले व्यक्तियो को औने पोने दामो में बेचने के लिये खडे थे। इस मोटर साईकिल को बेचकर जो पैसा मिलता उसे हम आपस में बांट लेते और अपना जीवन यापन करते व अभियुक्तो से बरामद सामान के बारे मे पूछा गया तो दोनो ने एक स्वर में बताया कि परसो की रात हम दोनो ने मिलकर मौहल्ला गुलाम औलिया में एक परचून की दुकान का जंगला तोडकर उसमें से यह सब चोरी किया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. नदीम उर्फ सलमान सांप उर्फ डेढ फुटा पुत्र नसीम निवासी मौहल्ला सराय टंकी वाली गली के पास कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. अभियुक्त सारिक पुत्र शरीफ निवासी मौहल्ला सराय मेले वाली सडक टंकी के पास कस्बा व थाना गंगोह जिला सहानरपुर

बरामदगी का विवरण -

- 01 मो0 सा0 सुपर स्पलैण्डर रंग काला न0 UP 11 AS 3618 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 246/23 धारा 379/411 भादवि)
- 04 पैकेट छोटा बरंग भूरा 502 बीडी
- पैकेट बडा 502 बीडी

- पैकेट बरंग गुलाबी 27 न0 बीडी
- 01 पैकेट टैलिफोन बीडी
- 10 पैकेट गोल्ड फ्लैक सिगरेट
- 450 रुपये नकद (सम्बन्धित मु0अ0सं0 280/23 धारा 457/380/411 भादवि)

<u>आपराधिक इतिहास- अभि0 नदीम उर्फ सलमान सांप उर्फ डेढ फुटा पुत्र नसीम</u>

1. मु0अ0सं0 129/2017 धारा 4/25 आईपीसी, चालानी थाना गंगोह जिला सहारनपुर,
2. मु0अ0सं0 147/2016 धारा 379/411 आईपीसी , चालानी थाना गंगोह जिला सहारनपुर,
3. मु0अ0सं0 181/2018 धारा 4/25 आर्मस एक्ट , थाना गंगोह जिला सहारनपुर,
4. मु0अ0सं0 182/2018 धारा 4/25 आर्मस एक्ट , थाना गंगोह जिला सहारनपुर,
5. मु0अ0सं0 248/2019 धारा 25 आर्मस एक्ट, थाना गंगोह जिला सहारनपुर,
6. मु0अ0सं0 353/2020 धारा 392/411 आईपीसी , थाना गंगोह जिला सहारनपुर,
7. मु0अ0सं0 357/2019 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 580/2015 धारा 379/511 आईपीसी , थाना गंगोह जिला सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 27/2022 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना ननौता जिला सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 28/2022 धारा 4/25 आर्मस एक्ट , थाना ननौता जिला सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 312/2018 धारा 4/25 आर्मस एक्ट, थाना ननौता जिला सहारनपुर
12. मु0अ0सं0 494/2013 धारा 109/41 द0प्र0सं0 , थाना गंगोह जिला सहारनपुर
13. मु0अ0सं0 501/2013 धारा 379/411 आईपीसी , थाना गंगोह जिला सहारनपुर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. उ0नि0 संदीप सिंह , थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 जितेन्द्र सिंह थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. हे0का0 365 राहुल कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. का0 1606 दीपक कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
5. का0 1718 अंकित धारा थाना गंगोह जिला सहारनपुर

दिनांक:19-9-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी अभियान के क्रम मे, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक गागलहेडी के कुशल नेतृत्व में आज दिनाँक 19.09.2023 को उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र कुमार व है0का0 127 विनीत कुमार द्वारा वांछित अभियुक्त **अंकित पुत्र मांगेराम नि0 ग्राम बुड्ढाखेड़ा कांतला थाना चिलकाना जिला सहारनपुर** सम्बंधित मु0अ0सं0 139/23 धारा 376/323/504 भादवि को कुतुबपुर कुसानी चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को मा0 न्याया0 के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार किया गया अभियुक्तः-

अंकित पुत्र मांगेराम नि0 ग्राम बुड्ढाखेड़ा कांतला थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1) उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी, सहारनपुर
2) है0का0 127 विनीत कुमार थाना गागलहेडी, सहारनपुर

दिनांक:19-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी अभियान के क्रम मे, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक गागलहेडी के कुशल नेतृत्व में आज दिनाँक 19.09.2023 को उ0नि0 श्री कृष्णवीर सिंह व हे0का0 317 सुनील कुमार व का0 2164 जसवन्त सिंह द्वारा वांछित अभियुक्त कमरुद्दीन पुत्र सलीम अहमद नि0 ग्राम नन्हेड़ागाजी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर सम्बंधित मु0अ0सं0 168/23 धारा 366/120बी भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट को कोलकी फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को मा0 न्याया0 के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार किया गया अभियुक्तः-

कमरुद्दीन पुत्र सलीम अहमद नि0 ग्राम नन्हेड़ागाजी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

(1) उ0नि0 श्री कृष्णवीर सिंह थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

(2) हे0का0 317 सुनील कुमार थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

(3) का0 2164 जसवन्त सिंह थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

दिनांक:19-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 आर्म्स एक्ट मे अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे चलाये जा रहे अपराधियों की धरपकड अभियान के क्रम मे, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक गागलहेडी के कुशल नेतृत्व में आज दिनाँक 19.09.2023 को उ0नि0 श्री शाहनवाज अहमद व हेका0 127 विनीत कुमार द्वारा एक अभियुक्त **प्रिंस पुत्र संजय कुमार नि0 ग्राम खतौली गुर्जर थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर** को 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित रसूलपुर पापडेकी जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के सम्बन्ध मे अभि0 के विरुद्ध थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0 169/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर मा0 न्याया0 के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार किया गया अभियुक्तः-

प्रिंस पुत्र संजय कुमार नि0 ग्राम खतौली गुर्जर थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

(1) उ0नि0 श्री शाहनवाज अहमद थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
(2) हेका0 127 विनीत कुमार थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

<u>प्रेस विज्ञप्तिः.</u>

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष के कठोर कारावास व 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा।

अवगत कराना है, कि दिनांक 07.08.2021 को वादी निरीक्षक श्री हरेन्द्र सिंह थाना प्रभारी सदर बाजार जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त **आकाश पुत्र बाबूराम नि0 रंगाना थाना झिझाना जनपद शामली** द्वारा एक सुसंगठित गिरोह बनाकर जनता में भय व्यप्त करना अपराधिक कृत्यो से धन अर्जित करना व आंतक फैलाने हेतु भादवि के अध्याय 16 व 17 में वर्णित अपराध कारित करने की सुचना पर मु0अ0सं0 467/2021 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना सदर बाजार पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 965/2022 पर अपर जिला सत्र न्यायाधीष कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थाने द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते **अपर जिला सत्र न्यायाधीष कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 19.09.2023 को अभियुक्त आकाश पुत्र बाबूराम मु0अ0सं0 467/2021 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए 02 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** सजा दिलवाने मे शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री मेघराज सिंह चैहान-9412648882, विवेचक निरीक्षक श्री मनोज कुमार चहल हाल तैनाती थाना प्रभारी कोतवाली देहात मो0न0-6397878793 तथा पैरोकार का0 929 अकिंत कुमार थाना सदर बाजार मो0न0-7017779285 की प्रमुख भूमिका रही है।